भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
(MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

टेलीफैक्स/ Telefax +91-135-2744064, 2743331
वेबसाईट/ Website www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल/ E-mail sgo.e1.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
हाथीबड़कला एस्टेट डाक बक्स सं०-37
HATHIBARKALA ESTATE, P.B. – 37
देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड) – भारत
DEHRADUN-248001 (UTTARAKHAND) INDIA

पत्रांक स्था०1-5469/ 579-स्टेनो **दिनांक: 02 सितम्बर, 2025**

सेवा में,

सभी अपर महासर्वेक्षक/ निदेशक एवं विंग प्रभारी |

विषय: **भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव पद हेतु भर्ती नियम-2025 की अधिसूचना से संबंधित |**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव पद हेतु भर्ती नियम-2025 की अधिसूचना की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की जाती है एवं उक्त प्रतिलिपि को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है |

संलग्न: यथोपरि |

Signed by Deepak C R Karki
Date: 02-09-2025 14:32:22

(डी०सी०आर० कार्की)
स्थापना एवं लेखा अधिकारी (स्थापना)
महासर्वेक्षक का कार्यालय
ई-मेल: dcrk.soi@gov.in
फोन न० 0135-2747051 (Extn. 5021)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली (Kind Attention: Ms. Anupma Kotnala, Under Secretary, (SMP-B)) को उनके पत्र सं० SM/02/17/2023 (E-46077) dated 27.08.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित |
2. तकनिकी सचिव/ स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन'/ 'कैरियर प्रगति'/ 'बजट'/ 'स्थापना' (म०स०का०) को सूचनार्थ प्रषित |
3. प्रभारी, वेबसाइट प्रबंधक (म०स०का०)-for uploading of the Recruitment Rules-2025 for the post of Private Secretary on SoI Departmental Website.
4. वरिष्ट निजी सचिव, भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित |

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265653
CG-DL-E-25082025-265653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 528] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 572(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ज्येष्ठ निजी सहायक), भर्ती नियम, 2001 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण, निजी सचिव (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव।	10* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रुपये)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: आशुलिपिक श्रेणी 1 जिसने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने सुसंगत क्षेत्र में केन्द्रीय	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

सरकार द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति**: केन्द्रीय सरकार में आशुलिपिक संवर्ग का अधिकारी,- (क) जिसने नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा (ख) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर (यथा आशुलिपिक श्रेणी में) पाँच वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	1. भारत का महासर्वेक्षक, -अध्यक्ष; 2.संबंधित निदेशक अथवा उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय -सदस्य; 4. भारत के महासर्वेक्षक द्वारा (चक्रानुक्रम से) नामित किये जाने वाले निदेशक -सदस्य।	

[फा. सं. एसएम/02/17/2023]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2025

G.S.R. 572(E).——In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Private Secretary.	10* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the field of relevant area, as prescribed by the Central Government. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers holding the post of Stenographer cadre of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (b) with five years service rendered after appointment to the post (as Stenographer Grade) on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. The Surveyor General of India - Chairman; 2. The Director or Deputy Secretary concerned of Department of Science and Technology - Member; 3. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office - Member; 4. Director (by rotation) to be nominated by the Surveyor General of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. SM/02/17/2023]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.25 15:46:37 +05'30'